न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरूआ बनाम राजवीर गोपाल पि० माधवसिंह जाट,

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– 22/2022 निर्णय दिनाँक :– 20/6/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानोता की आ.ख.न. 112 कुल रकबा 3:00 किस्म जमीन गै०मु० तलाई में से 0-15 हे० रकबे पर श्री राजवीर गोपाल पि० माधवसिंह जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरूआ द्वारा दिनाँक 6/5/22 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दारोंदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी राजवीर गोपाल पि० माधवसिंह जाति जाट निवासी रानोता को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... नही उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 112 रकबा 3·00 में से 0-15 हे० रकबे किस्म गै०मु० तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 2-79 का 50 गुणा 140/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा (एक सौ चालीस रु.) जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरूआ भू.अ.निरी. दारोंदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)